**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**राजस्व विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 303**

**जिसका उत्तर सोमवार, 5 फरवरी 2024/ 16 माघ, 1945 (शक) को दिया गया**

**सुपारी का अवैध आयात**

**303. श्री नलीन कुमार कटील:**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क)** क्या सरकार ने देश में सुपारी के अवैध आयात को गंभीरता से लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**(ख)** क्या सरकार ने इस बात पर भी विचार किया है कि अवैध व्यापार से घरेलू सुपारी बाजार पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे किसानों को नुकसान होता है और परिणामस्वरूप सरकार को भारी राजस्व हानि भी होती है क्योंकि आयातक कपटपूर्ण तरीकों का प्रयोग कर सुपारी को सूखे मेवे के रूप में बेचते हैं ताकि पहचान से बचा जा सके; और

**(ग)** यदि हां, तो सरकार द्वारा सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा करने और सरकार को होने वाले राजस्व घाटे से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाएंगे?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री पंकज चौधरी)**

**(क) एवं (ख):** केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के तहत क्षेत्रीय संरचनाएं और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) देश में सुपारी के अवैध आयात को विफल करने के लिए निरंतर निगरानी रखते हैं और बेईमान तत्वों द्वारा विभिन्न भ्रामक तरीकों के जरिये आयात को रोकने के लिए कानून के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करते हैं।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (दिसंबर 2023 तक) के दौरान अवैध रूप से आयातित या तस्करी के प्रयास में सुपारी की जब्ती का विवरण इस प्रकार है:

| **वित्तीय वर्ष** | **मामलों की संख्या** | **जब्त मात्रा (मीट्रिक टन में)** |
|---|---|---|
| 2020-21 | 278 | 3449.6 |
| 2021-22 | 260 | 3388.4 |
| 2022-23 | 454 | 3400.3 |
| 2023-24 (दिसम्बर 2023 तक) | 416 | 6760.8 |

**(ग):** देश में सुपारी के अवैध आयात के प्रयासों को विफल करने के अलावा, जैसा कि ऊपर भाग (क) एवं (ख) में वर्णित है, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

(i) सीबीआईसी की क्षेत्रीय संरचनाओं को चेतावनी/ कार्यप्रणाली परिपत्र के माध्यम से तस्करी के नए तरीकों के बारे में जागरूक किया जाता है और उपयुक्त रोकथाम के लिए राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र (एनसीटीसी) जोखिम भरे आयातों को चिह्नित करता है।

(ii) सीबीआईसी समय-समय पर सुपारी के आयात के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के तहत टैरिफ मूल्य को संशोधित करती है। टैरिफ मूल्य वर्तमान में यूएस $ 8140 प्रति मीट्रिक टन [सीबीआईसी अधिसूचना संख्या 09/2024-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 31.01.2024] है और मूल सीमा शुल्क 100% यथामूल्य है।

(iii) यदि सीआईएफ मूल्य 351/- रुपये प्रति किलोग्राम से कम है, तो सुपारी का आयात निषिद्ध है, सिवाय इसके कि जब 100% ईओयू और एसईजेड में इकाइयों द्वारा आयात किया जाता है, इस शर्त के अधीन कि कोई डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं है [डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 57/2015-2020 दिनांक 14.02.2023]।

(iv) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को आयात खेपों को मंजूरी देने से पहले सुपारी के गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है।

*****